समाहरणालय, शेखपुरा
(सामान्य शाखा)

—: आम सूचना :—

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक 2623, दिनांक 24.05.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में मंडल कारा, शेखपुरा अन्तर्गत 02 (दो) पुरूष एवं 01 (एक) महिला कुल– 03 (तीन) गैर शासकीय परिदर्शक की नियुक्ति हेतु सुयोग्य व्यक्ति के नामों की अनुशंसा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को भेजे जाने के निमित केवल प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद्, मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सीय सेवा मे पेशेवर व्यक्ति से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। **गैर शासकीय परिदर्शक किसी प्रकार के दैनिक भत्ते के हकदार नहीं होंगे, किन्तु बंदी गृह के प्रत्येक दौरे के लिए उन्हें परिवहन भत्ता देय होगा।**

उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति अंतिम रूप से दिनांक– **20.08.2017** तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला पदाधिकारी, शेखपुरा को आवेदन पत्र भेज सकते हैं। गैर शासकीय परिदर्शक की नियुक्ति संबंधी नियम/मापदंड शेखपुरा जिला के वेबसाईट **www.sheikhpura.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा

ज्ञापांक :– 752 /सा0, दिनांक 02/08/2017 /

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस सूचना का प्रकाशन अपने जिला के सूचना पटट पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, शेखपुरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस सूचना तथा नियुक्ति संबंधी नियम/मापदंड को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

जिला पदाधिकारी,
शेखपुरा